श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, मुंगेर की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्ण एवं शांति वातावरण में वार्षिकोत्सव दशहरा एवं बकरीद, 2013 को मनाए जाने हेतु विधि व्यवस्था संधारण की तैयारियों के संबंध में दिनांक 02.10.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी।

सर्वप्रथम अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों से आए पूजा समिति के सदस्यगण एवं प्रबुद्ध नागरिकों को बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दशहरा एवं ईद–उल–जोहा (बकरीद), 2013 के शांतिप्रिय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने में पूर्णरूपेण सहभागिता देने का अनुरोध किया गया एवं यह स्पष्ट किया गया कि उक्त पावन अवसर पर अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों/असामाजिक तत्वों को किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।

इसी क्रम में दिनांक 05.10.2013 से 14.10.2013 तक मनाए जाने वाले दशहरा–2013 एवं दिनांक 16.10.13 तथा 17.10.13 को मनाए जाने वाले ईद–उल–जोहा (बकरीद)–2013 के परिपेक्ष्य में संवेदनशील, अतिसंवेदनशील एवं नक्सल प्रभावित सहित जिले के विभिन्न स्थलों पर यथोचित संख्या में दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति इस कार्यालय से निर्गत संयुक्तादेश ज्ञापांक 2012/गो0, दिनांक 30.09.2013 द्वारा की जा चुकी है, जिसमें विधि व्यवस्था संधारण तथा तनाव/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में तत्क्षण की जाने वाली कार्रवाईयों का जिक्र करते हुए पूर्णरूपेण निदेश दिए गए हैं जिसका शत–प्रतिशत अनुपालन संबंधित पदाधिकारी निश्चित रूप से करेंगे।

बैठक के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर महत्वपूर्ण बिन्दुओं की चर्चा के क्रम में अधोलिखित पूजा समिति के सदस्यों द्वारा अपनी कठिनाई तथा सुझाव का वर्णन किया गया, जो निम्नवत् है :–

1. लाल दरवाजा पूजा समिति के सदस्य श्री बिन्देश्वरी प्रसाद ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए बताया कि काफी समय पूर्व से ही प्रतिमा विसर्जन का क्रम लगातार 1 से 9 नं0 तक रखा जाता है, परन्तु किसी कारणवश 9 नं0 की प्रतिमा के विलम्ब से आने के पश्चात् 10 नं0, 11 नं0 इत्यादि द्वारा 9 नं0 प्रतिमा को आगे नहीं जाने दिया जाता है जिसके कारण आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न संभवतः हो ही जाती है। अतः बैठक में उपस्थित सभी पूजा समितियों के सदस्यों से श्री बिन्देश्वरी प्रसाद द्वारा अनुरोध किया गया कि पूर्व की भाँति प्रतिमा विसर्जन हेतु विलम्ब होने के बाद भी 01 से 09 नं0 की प्रतिमा को पहले विसर्जन करने का अवसर दिया जाए। इस निमित्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा लाल दरवाजा पूजा समिति के सदस्यों को सख्त निदेश दिया गया कि अनुज्ञप्ति में अंकित समयानुसार ही मूर्त्ति विसर्जन करेंगे।
2. शास्त्रीनगर पूजा समिति के सदस्य श्री विकास चन्द्र यादव ने अनुरोध किया कि उनकी अनुज्ञप्ति में अंकित समय के अन्तराल में बढ़ोतरी की जाए अथवा बेहतर सुविधा हेतु गांधी चौक पर ही प्रतिमा विसर्जन हेतु नम्बर की व्यवस्था की जाए।
3. बहादुरपुर पूजा समिति, बरियारपुर के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि वर्तमान में बरियारपुर में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है जिसके कारण लोहची में स्थापित प्रतिमा को ऋषिकुण्ड–पाटम होते हुए नौवागढ़ी–बरियारपुर चौक आना पड़ता है तथा इसी अवधि में बरियारपुर बड़ी दुर्गा का इंतजार करने में विलम्ब होता है। अतः अनुरोध स्वर में कहा गया कि बरियारपुर चौक पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस पदाधिकारियों की अधिक संख्या में प्रतिनियुक्ति की जाए।
4. पूरबसराय पूजा समिति, सदर, मुंगेर के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि प्रतिमा विसर्जन के लिए नम्बर की व्यवस्था होने से महावीर मंदिर में आरती कर पाना संभव नहीं होता है तथा प्रतिमा को आगे ले जाने के लिए विभिन्न पूजा समितियों द्वारा आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूरबसराय पूजा समिति के समीप मुर्गियाचक

चौराहा है तथा उसके पीछे दो-तीन गली है, को संवेदनशील श्रेणी में इसलिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि माँ की पूजा-आरती के समय आने वाली महिलाओं/किशोरियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी एवं गलत ईशारे किए जाते हैं तथा उसी गली से भागने में सफल हो जाते हैं। इस पर विशेष निगरानी रखने की नितान्त आवश्यकता है।

5. कई पूजा समितियों द्वारा शिकायत की गई कि पूर्णरूपेण आवेदन भरकर देने के बावजूद अभी तक उन्हें अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं की गई है।
6. महादेवपुर, नौवागढ़ी पूजा समिति, बरियारपुर द्वारा अनुरोध किया गया कि निर्गत अनुज्ञप्ति में रूट चार्ट का परिवर्तन किया जाए, क्योंकि मनियारचक के समीप वर्ष 2004 में अप्रिय घटना घटित होने से स्थानीय पूजा समिति के सदस्य भयाक्रांत हैं। इस निमित्त थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अनुरोध के आलोक में विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
7. लल्लू पोखर पूजा समिति के सदस्य श्री रूपलाल सहनी ने बताया कि बाटा चौक पर कासिम बाजार थानान्तर्गत शंकरपुर, बेनीगीर, नंदलालपुर पूजा समितियों द्वारा प्रतिमा आगे ले जाने की होड़ में अन्य पूजा समितियों से आपसी विवाद किया जाता है। इस बावत् बेनीगीर दुर्गास्थान, सीताकुण्ड रोड, मुंगेर के श्री पांचु साह द्वारा बताया कि लल्लू पोखर पूजा समिति की प्रतिमा विसर्जन में शामिल लगभग 80% व्यक्तियों द्वारा अत्यधिक शराब का सेवन कर उपद्रव किया जाता है जिसकी पुष्टि अन्य पूजा समितियों द्वारा भी की गई।
8. छोटी दुर्गा पूजा समिति, जमालपुर द्वारा आश्वस्त किया गया कि यदि बड़ी दुर्गा पूजा समिति की प्रतिमा यदि अपने निर्धारित समय 8:00 बजे रात्रि में उठ जाती है तथा सफियाबाद एवं नौलक्खा पथ में यातायात की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो वे निश्चित तौर पर दिनांक 15.10.13 की मध्य रात्रि तक प्रतिमा का विसर्जन कर देंगे।

विभिन्न क्षेत्रों से आए पूजा समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराए गए कठिनाईयों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त सभी पूजा समिति सदस्यों से अनुरोध किया गया कि इस पावन अवसर पर अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रशासन के साथ सहयोग की भावना से ही संभावित अप्रिय घटना की रोकथाम की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने का निदेश देते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्रवाईयाँ निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया :-

1. दशहरा-2013 एवं ईद-उल-जोहा (बकरीद)-2013 अन्तर्गत विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस कार्यालय से निर्गत संयुक्तादेश ज्ञापांक 2012/गो0, दिनांक 30.09.2013 द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित रहते हुए सजग, सतत् एवं सक्रिय रहकर समस्या का समाधान करेंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी भ्रमणशील रहकर प्रतिनियुक्ति स्थल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की उपस्थिति का निरीक्षण अवश्य करें।
2. सभी वरीय पदाधिकारी स्वयं भ्रमणशील रहकर स्थिति की समीक्षा कर अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश देंगे एवं कोई अफवाह फैलने पर उसका खण्डन त्वरित गति से करते हुए वातावरण को शांतिप्रिय बनाएँगे। साथ ही Crisis Management Plan तैयार रखा जाए एवं अफवाह को तुरंत रोकने हेतु P.A.System की व्यवस्था की जाए।
3. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु भीड़ एकत्रित होने वाले स्थानों पर यथेष्ट प्रशासनिक सतर्कता/सुरक्षात्मक एवं निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। साथ ही मंदिर, मस्जिद के आस-पास दिवा एवं रात्रि गश्ती की व्यवस्था करेंगे तथा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में तीन पालियों में सघन गश्ती की भी व्यवस्था करेंगे।

4. थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि जिन स्थलों पर परम्परागत संघर्ष के बिन्दु पर तनाव उत्पन्न होने की आशंका होती हो तथा जिसका पूर्व का इतिहास अच्छा नहीं रहा हो, का क्षेत्र भ्रमण कर संभावित अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु यथेष्ट कदम उठाए जाएँ।
5. दो समुदायों के बीच ऐसे संवेदनशील मुद्दों, यथा–भूमि विवाद, कब्रिस्तान की जमीन का विवाद इत्यादि का यथासंभव समाधान करने हेतु संबंधितों के साथ बैठक कर ली जाए।
6. किसी भी प्रशासनिक स्तर पर अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होने पर वरीय पदाधिकारी को तत्क्षण अवगत कराया जाए।
7. किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए दंगा निरोधक दस्ता एवं SOP तैयारी हालत में रखा जाए।
8. इस अवसर पर निकलने वाले जुलुसों के मार्गो का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पूजा समिति के प्रतिष्ठित, वरिष्ठतम, प्रबुद्ध एवं शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति के नाम से ही प्रतिमा विसर्जन की अनुज्ञप्ति निर्गत की जाए। अनुज्ञप्ति में उक्त समिति के सदस्यों का मोबाईल नं0 एवं रूट चार्ट का स्पष्ट अंकन किया जाए।
9. सभी पूजा समितियों को यह सख्त निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्ति में वर्णित तय समय तथा रूट चार्ट के अनुसार ही प्रतिमा विसर्जन कराएँगे।
10. किसी भी परिस्थिति में गैर अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाए।
11. Communication Plan के हिसाब से पूजा समिति सदस्यों का मोबाईल नं0 थानावार अनुमंडल पदाधिकारी संकलित कर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को हस्तगत कराएँगे।
12. प्रशासनिक पदाधिकारियों के अतिरिक्त पूजा समिति के सदस्यों की भी यह जिम्मेवारी निहित की जाती है कि पूजा पंडालों में देर रात्रि अर्थात् 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए। साथ ही विसर्जन के समय डी0जे0 का प्रयोग किसी भी स्थिति में न हो, इसे सुनिश्चित करेंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि पूजा पंडालों/जुलूसों/विसर्जन के समय लाउडस्पीकर के माध्यम से तीव्र स्वर में अश्लील गानों अथवा अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे तथ्य संज्ञान में आने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
13. ऐसी कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित), भाषण, कार्टून, नारे इत्यादि जुलूसों/पंडालों/विसर्जन में नहीं किया जाए जिससे कि किसी सम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावना को ठेस पहुँचे अथवा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो।
14. प्रतिमा विसर्जन के समय एकत्रित भीड़/जुलूस में शामिल अखाड़ा कार्यकर्त्ताओं द्वारा बेवजह हथियार, यथा–तलवार, भाला, गंडासा, लाठी, Fire Weapons, आतिशबाजी इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तथा उक्त अखाड़ा कार्यकर्त्ता हथियार सहित भगत सिंह चौक पर ही रूक जाएँगे। साथ ही भीड़ के मद्देनजर घोड़ा, हाथी, उँट इत्यादि पशुओं का प्रयोग जुलूस में नहीं करेंगे।
15. सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस निरीक्षक/थाना प्रभारी/ओ0पी0 प्रभारी की यह जिम्मेवारी है कि अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर धारा 107, 113 एवं 116(3) दं0प्र0सं0 के तहत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर अनुमंडल पदाधिकारी कैम्प कोर्ट कर धारा 107, 116(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बॉंड भरवाने (Heavy Ammount) की कार्रवाई करेंगे एवं अजनबी व्यक्तियों की गतिविधियों पर बराबर नजर रखने तथा संदिग्ध पाए जाने पर विश्वास में लेकर पूछताछ करने हेतु अधीनस्थों को आवश्यक निदेश देंगे।
16. यह ध्यान दिया जाए कि जिन असामाजिक तत्वों के उपर नीलाम पत्र वाद चल रहा है, वैसे व्यक्तियों के विरूद्ध निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाए।

17. पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को क्षेत्र में तैनात रखते हुए समय-समय पर आसूचना संग्रह कर पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को अवगत कराते रहेंगे।
18. विभागीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 14.10.13 एवं 15.10.13 को देशी, विदेशी, मसालेदार, ताड़ी इत्यादि अल्कोहलीय पदार्थ के सेवन पर पूर्णत पाबंदी लगाई गई है जिसका कंक्रीट अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए लगातार गहन छापेमारी की जाए।
19. पूजा समिति के सदस्यों को भी यह इस आशय की सूचना दी जाए कि पूजा अवधि में तथा प्रतिमा विसर्जन के समय शराब का सेवन नहीं करें।
20. उक्त अवसर पर वाहनों की गहन चेकिंग की जाए।
21. पूजा पंडालों के आस-पास एकत्रित भीड़ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूजा समिति द्वारा CCTV निश्चित रूप से लगाया जाए ताकि महिलाओं/किशोरियों के साथ संभावित छेड़खानी, अभद्र/अनुचित व्यवहार इत्यादि का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्व की पहचान कर तत्क्षण कानूनी कार्रवाई की जा सके।
22. सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिजिटल कैमरा उपलब्ध कराया गया है जिसका इस्तेमाल अष्टमी, नवमीं एवं दशमी को निश्चित रूप से किया जाए।
23. पूजा पंडालों के समीपवर्ती क्षेत्रों में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेश दिया गया कि पूजा समिति सदस्यों द्वारा मांग के अनुरूप छिड़काव हेतु ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराया जाए। नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर भी अपने स्तर से इस कार्य का अनुश्रवण कर शहर की साफ-सफाई में सहभागिता प्रदान करेंगे।
24. सभी थाना प्रभारियों को निदेश दिया गया कि जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तियों अथवा वैसे व्यक्तियों का मोबाईल नं0 संकलित कर संधारित करेंगे जो अप्रिय घटना घटित होने के समय प्रशासन का तन्मयता से सहयोग कर सके।
25. उपरोक्त निदेशों को अनुपालन यथासमय निश्चित रूप से कर ली जाए।

तत्पश्चात् सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला दंडाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2043 /गो0, दिनांक 04/10/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर/अपर पुलिस अधीक्षक, मुंगेर-सह-सदर, मुंगेर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/परिचारी प्रवर नवीन आरक्षी केन्द्र, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी कार्यालयों/शाखाओं के वरीय उपसमाहर्त्ता/प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला दंडाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2043 /गो0, दिनांक 04/10/13

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला दंडाधिकारी,
मुंगेर।